## Number of Benificiaries Under Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana

**73. SH. BALRAJ KUNDU (Mehem),:-** Will the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Minister be pleased to state:-

a) the total number of persons who have applied under Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana implemented in the State from the year 2018 till to date togetherwith the time period within which the amount of kanyadan/shagun is received to the applicant from the date of application;

b) whether any time limit has been fixed by the Government for the release of amount under abovesaid Yojana; if so, the details thereof;

c) the number of the applicants who have been benefitted under the said scheme out of the total received applications so far; and

d) the total number of applicants who have not received benefit of the said scheme so far togetherwith the total number of applications lying pending till to date ?

---

**DR. BANWARI LAL** — **Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Minister, Haryana.**

---

**REPLY**

Sir,

a) The total number of persons who have applied under Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana implemented in the State from the year 2018 to 31.07.2022 are 1,69,780. Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana has been notified under Haryana Right to Service Act under which action has to be taken on the application of the applicant within the time limit of 30 days.

b) As above (a), Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana has been notified under Haryana Right to Service Act under which action has to be taken on the application of the applicant within the time limit of 30 days.

c) Since 2018 to 31.07.2022, the number of applicants who have been benefitted under the said scheme are 1,28,067 out of 1,69,780 and 39,359 applications have been rejected due to ineligibility.

d) During the period as mentioned above, 39,359 applicants have not got benefit under the said scheme and 2354 applications are pending due to lack of documents at level of applicants.

-------

**73.** **श्री बलराज कुंडू (महम):** क्या अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री कृप्या बताएंगे कि:–

(क) वर्ष 2018 से आज तक राज्य में लागू मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल कितनी है तथा समयावधि क्या है जिसके अन्दर आवदेन की तिथि से आवेदक को कन्यादान/शगुन की राशि प्राप्त होती है,

(ख) क्या उपरोक्त योजना के अन्तर्गत राशि जारी करने के लिए सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत कुल प्राप्त आवेदनों में से उन आवेदकों की संख्या कितनी है जो लाभान्वित हुए हैं, तथा

(घ) उन आवेदकों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें अब तक उक्त योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तथा आज तक लम्बित आवदेनों की कुल संख्या कितनी है?

---

**डॉ0 बनवारी लाल** **अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री**

---

**उत्तर**

महोदय जी,

(क) वर्ष 2018 से दिनांक 31.07.2022 तक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 1,69,780 है। उक्त योजना सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित है जिसके तहत आवेदनकर्ता के आवेदन पर कार्यवाही हेतु 30 दिन की समय–सीमा निर्धारित की गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) अनुसार यह योजना सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित है जिसके तहत आवेदनकर्ता के आवेदन पर कार्यवाही हेतु 30 दिन की समय–सीमा निर्धारित की गई है।

(ग) वर्ष 2018 से दिनांक 31.07.2022 तक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत कुल आवेदकों 1,69,780 में से लाभान्वित आवेदकों की संख्या 1,28,067 है एवं अपात्रता के कारण 39,359 आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये है।

(घ) उक्त समयावधि में कुल 39,359 आवेदन पत्र अस्वीकृत हुये है एवं 2354 वर्तमान में लम्बित हैं, जिनमें संबंधित आवेदकों के स्तर पर वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने है।